हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर मनचलों को सिखाएं सबक

इकौना में महिलाओं को जागरूक करती महिला आरक्षी। स्रोत पुलिस

संवाद न्यूज एजेंसी

श्रावस्ती। महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के लिए पुलिस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में थानों में गठित एंटी रोमियो टीम ने भीड़भाड़ वाले स्थानों व स्कूलों में चौपाल लगाकर महिलाओं व युवतियों को जागरूक किया।

बृहस्पतिवार को टीम ने मल्हीपुर के ग्राम गणेशपुर, हरिहरपुर, मल्हीपुर चौराहा, सोनवा के दिकौली मोड़ व बैभी सहित कई स्थानों पर चौपाल लगाई। गणेशपुर में आयोजित चौपाल में मौजूद महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों, महिलाओं के अधिकारों के लिए बने नियम व कानून के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि राह चलते कोई परेशान करें तो हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर मनचलों को सबक सिखाया जा सकता है। उधर, मल्हीपुर चौराहे पर आयोजित चौपाल में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं व युवतियों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए पंपलेट का वितरण भी किया गया। (संवाद)

लोक सेवक से मारपीट के दोषी को कारावास

अदालत से

जासं, श्रावस्ती : सरकारी नहर को काटकर अपनी जमीन में मिला लेने व अवर अभियंता के साथ मारपीट करने के मामले में दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। 29 सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार पांडेय ने बताया की 22 दिसम्बर 2006 को सरयू नहर खंड प्रथम बहराइच के अवर अभियंता जेपी श्रीवास्तव ने गिलौला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुसउर गांव निवासी इतवारी यादव ने नहर को काट कर अपनी हद में मिला लिया। जब कर्मचारी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की। इस मामले में इतवारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। विचारण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने उसे दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।